

[“मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग ४ (ए), दिनांक १२ फरवरी १९८८ में प्रकाशित]

मध्यप्रदेश शासन
नामान्थ प्रशासन विभाग
(अधीक्षण शाखा)

भांपाल, दिनांक ३० दिसम्बर १९८७

अ. एफ. नं. २२-४९-१९८५-एक-स्था-२-भारत के संविधान के
अनुच्छेद ३०९ के एतद्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में
लाने के लिये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश
सीचिवरीय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, १९८७ में निम्नलिखित
संशोधन करते हैं, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (८) में अंकित
शब्द “पचीस” के स्थान पर “अठ्ठीस” स्थापित किये जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. सिंह, उपसचिव।

भांपाल, दिनांक ३० दिसम्बर १९८७

एफ. नं. २२-४९-१९८५-एक-स्था-२-भारत के संविधान के
अनुच्छेद ३१८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की

अधीक्षकता क्रमांक २२-४९-१९८५-एक-स्था-२, दिनांक ३० दिसम्बर
१९८७ का अंशही अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा
प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. सिंह, उपसचिव।

Bhopal, the 30th December 1987

F. No. 22-49-1985-I-Esst-2.—In exercise of the
powers conferred by the proviso to Article 309 of
the Constitution of India, the Governor of Madhya
Pradesh hereby makes the following amendments in
the Madhya Pradesh Secretariat (Class IV) Service
Recruitment Rules, 1987, namely—

AMENDMENTS

In the said rules, in column (8) of the Schedule
appended thereto the word “Fifth” the word “Eight
shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
H. SINGH, Dy. Sec